



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127380

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-19874 वर्ष 2026

रिया उर्फ रीनाआवेदिका

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी

आवेदिका के अधिवक्ता : राकेश त्रिपाठी-I

विपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश त्रिपाठी, सूचनाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री श्वेता निषाद की ओर से संक्षिप्त निर्देशों पर उपस्थित श्री अंजनी कुमार सिंह तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र थाना-कांधला, जनपद-शामली में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या-72 वर्ष 2026, धारा 105, बी.एन.एस. के अंतर्गत विचारण के लंबित रहने के दौरान आवेदिका को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आवेदिका निर्दोष है तथा उसे वर्तमान प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। आवेदिका एक महिला है तथा जनपद-शामली स्थित सहारा अस्पताल में रिसेप्शनिस्ट के पद पर कार्यरत थी। मृतका ने एक मृत शिशु को जन्म दिया

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



था तथा उसे दिनांक 29.12.2025 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। इसके पश्चात उसे पी.जी.आई., रोहतक में भर्ती कराया गया, जहाँ दिनांक 01.01.2026 को उसकी मृत्यु हो गई। मृतका का उपचार डॉ. नगमा द्वारा किया जा रहा था तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शामली द्वारा जांच कराई गई, जिसमें आवेदिका की किसी प्रकार की संलिप्तता नहीं पाई गई। उक्त जांच प्रतिवेदन प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट-3 के रूप में अभिलेख पर उपलब्ध है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 19.02.2026 को दिनांक 28.12.2025 से 01.01.2026 के मध्य घटित कथित घटना के संबंध में पंजीकृत कराई गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए इस अत्यधिक विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदिका का नाम भी अंकित नहीं है। विवेचना के दौरान दिनांक 10.03.2026 को आवेदिका को अभियुक्त बनाया गया। आवेदिका का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी निवेदन किया कि आवेदिका दिनांक 02.04.2026 से कारागार में निरुद्ध है तथा यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी तथा विचारण में पूर्ण सहयोग करेगी।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदिका की जमानत प्रार्थना का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपराध में उसकी संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, अतः वह जमानत पर रिहा किए जाने की अधिकारी नहीं है।

5. मैंने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेख का परिशीलन किया।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्कों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों, आवेदिका द्वारा कारागार में व्यतीत की गई अवधि तथा उसके विरुद्ध किसी

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



भी आपराधिक इतिहास के अभाव को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रकरण के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय का मत है कि आवेदिका ने जमानत प्रदान किए जाने हेतु प्रथमदृष्टया मामला स्थापित कर दिया है।

7. परिणामस्वरूप, जमानत प्रार्थना-पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

8. आवेदिका-रिया उर्फ रीना, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा दो प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत किए जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। रिहाई आदेश निर्गत किए जाने से पूर्व प्रतिभूतियों का सत्यापन किया जाएगा।

(i) आवेदिका इस आशय का अधियाचन प्रस्तुत करेगी कि जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, तब साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर वह किसी प्रकार का स्थगन नहीं माँगेगी। इस शर्त का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आवश्यक आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(ii) आवेदिका विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगी। यदि पर्याप्त कारण के बिना वह अनुपस्थित रहती है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 229-ए / बी.एन.एस. की धारा 269 के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iii) यदि विचारण के दौरान आवेदिका जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करती है तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 / बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और उद्घोषणा में नियत तिथि पर भी वह न्यायालय

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



के समक्ष उपस्थित नहीं होती हैं, तो विचारण न्यायालय भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174-ए / बी.एन.एस. की धारा 209 के अंतर्गत विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(iv) आवेदिका विचारण न्यायालय के समक्ष (1) वाद के उद्घाटन, (2) आरोप गठन तथा (3) बी.एन.एस. की धारा 351 / दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत कथन अभिलिखित किए जाने की तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगी। यदि विचारण न्यायालय की राय में उसकी अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय ऐसे आचरण को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

9. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदिका को जमानत प्रदान करते समय की गई उपर्युक्त टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

दिनांक : 16 जून, 2026

ललित शुक्ल

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"